फर्द अहकाम

श्रीमति कमली देवी बनाम रामदेव

नाम न्यायालय – सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या– दावा -15 /2018

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/3/2021	पत्रावली आज दिनांक 15.03.2021 को प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 जाब्ता दीवानी बाबत् आदेश दिनांक 10.03.2021 दुरूस्त किये जाने बाबत् पेश हुई । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अवगत करवाया है कि वाद संख्या 15 / 2018 उनवानी कमली बनाम रामदेव मे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 दिनांक 10.03.2021 को स्वीकार कर वाद को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 के अंतिम पैरा मे आदेश 07 नियम 11 की जगह टाइपिंग त्रुटि की वजह से आदेश 07 नियम 14 अंकित हो गया है व डिक्री मे भी आदेश 07 नियम 11 की जगह आदेश 07 नियम 14 अंकित हो गया है । प्रार्थीगण ने उक्त टाइपिंग त्रुटि को लाल स्याही से दुरूस्त कर आदेश 07 नियम 14 के स्थान पर आदेश 07 नियम 11 करने हेतु निवेदन किया है । हमने पत्रावली का अध्ययन किया व प्रार्थना पत्र का मनन कर यह पाया कि उक्त त्रुटि टाइपिंग त्रुटि है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है । अतः वाद संख्या 15 / 2018 उनवानी कमली बनाम रामदेव निर्णय दिनांक 10.03.2021 के अंतिम पैरा मे आदेश 07 नियम 14 को लाल स्याही से दुरूस्त आदेश 07 नियम 11 किया जाता है व इसी अनुसार डिक्री मे भी आदेश 07 नियम 14 को भी लाल स्याही से दुरूस्त कर आदेश 07 नियम 11 किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । (हस्ताक्षर) अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.) सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:06:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner